ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. NO.- 254-256
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

महिला सशक्तिकरण में लोक कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका

डॉ0 निर्मला

असि. प्रोफेसर– समाजशास्त्र, कमला आर्य कन्या पीजी कॉलेज मिर्जापुर (उ0प्र0) भारत

Received-13.03.2024, Revised-20.03.2024, Accepted-27.03.2024 **E-mail : dniramala50@gmail.com**

सारांश : ***यह शोध पत्र भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है। इसमें महिला सशक्तिकरण की परिभाषा, उसके सामाजिक और विकासात्मक महत्व को रेखांकित करते हुए सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुद्रा योजना, जननी सुरक्षा, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि और निर्भया योजना जैसी प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। शोध में इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मिले अवसरों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही स्व–सहायता समूहों, शहरी आजीविका मिशन और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को भी रेखांकित किया गया है। किंतु योजनाओं के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार, पारिवारिक रूढ़ियाँ, तकनीकी ज्ञान की न्यूनता और प्रशासनिक जटिलताएँ प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। अंततः शोध यह प्रस्तावित करता है कि यदि इन योजनाओं को जनआंदोलन का रूप दिया जाए और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी मिले, तो सशक्तिकरण केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि समाज का स्वाभाविक स्वरूप बन सकता है।***

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, पारिवारिक रूढ़ियां, सामाजिक समानता, महिला नेतृत्व, डिजिटल माध्यम

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से विचार और विरोधाभास का विषय रही है। एक ओर वे शक्ति, ज्ञान और करुणा की मूर्त मानी जाती रही हैं, तो दूसरी ओर वे सामाजिक असमानता, शोषण और उपेक्षा का भी शिकार बनी हैं। इतिहास के पन्नों में महिला सशक्तिकरण के`चवतंकपब प्रयास अवश्य मिलते हैं, परंतु इनका प्रभाव सीमित था। स्वतंत्र भारत के संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए महिलाओं को सामाजिक न्याय की मुख्यधारा में लाने की नींव रखी। आज महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि समग्र राष्ट्र विकास की आधारशिला बन चुका है। इसी दिशा में सरकार ने समय–समय पर लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से सशक्त करना है। यह शोध पत्र इन्हीं योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुँच, और व्यावहारिक परिणामों का मूल्यांकन करता है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर करना, और सामाजिक निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यह एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, नेतृत्व, और आजीविका के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। सशक्तिकरण केवल अधिकार प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब महिलाएं अपने अधिकारों को न केवल पहचानें, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से उपयोग भी करें। इसके लिए संस्थागत समर्थन, कानूनी संरचना, और व्यवहारिक योजनाएं आवश्यक होती हैं, जो उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दें।

लोक कल्याणकारी योजनाएं– भारतीय राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी और उत्थान प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लक्षित करती हैं, ताकि उन्हें विकास की समान धारा में शामिल किया जा सके। महिला केंद्रित योजनाएं बहुआयामी हैंकुछ शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, कुछ स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं, तो कुछ आजीविका और सुरक्षा पर। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितनी पारदर्शिता, समयबद्धता और भागीदारी के साथ लागू किया गया।

प्रमुख महिला कल्याणकारी योजनाएं – भारत सरकार ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को सुधारने हेतु समय–समय पर अनेक योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बनातीं, बल्कि उन्हें समाज के निर्णयों में भागीदार भी बनाती हैं। प्रत्येक योजना के लागू होने का समय और उसका महत्व नीचे उल्लेखित है:

1. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (2015)** : इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात को सुधारना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देनाथा। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से आरंभ हुई यह योजना उन जिलों को प्राथमिकता देती है जहाँ लिंगानुपात असंतुलित है। इसके माध्यम से समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। स्कूली नामांकन दरों में सुधार और बाल विवाह में गिरावट देखी गई है।
2. प्र**धानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017)** : पहली बार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर प्रेरित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था।1 जनवरी 2017 को शुरू हुई यह योजना उन महिलाओं के लिए वरदान बनी है जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तीन किश्तों में ₹5000 की राशि से महिलाओं को पोषण आहार लेने और प्रसव पूर्व जांच कराने में मदद मिली है। यह योजना मातृत्व सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम मानी जाती है।
3. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015) :** महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना, जिससे वे व्यापार, सेवा या उत्पादन कार्य प्रारंभ कर सकें इस योजना का उद्देश्य था। 8
4. अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

5. **जननी सुरक्षा योजना (2005)** : इस योजना का उद्देश्य गरीब और हाशिए पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लानाथा। 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से इस योजना ने लाखों महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव हेतु प्रेरित किया है, जिससे मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।
6. **स्टैंड अप इंडिया योजना (2016)**: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उद्यमिता के लिए ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे व्यवसायिक रूप से सशक्त बन सकें इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई यह योजना महिलाओं को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण देने में सहायक है। इसके कारण महिला नेतृत्व और औद्योगिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है। साथ ही यह योजना स्वरोजगार और नई नौकरियों के निर्माण में भी योगदान देती है।
7. **सुकन्या समृद्धि योजना (2015)** : इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, विशेषकर शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहन देना था। यह योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ शुरू हुई थी। इसमें बालिका के नाम पर खाता खोलकर उसमें नियमित बचत की जाती है, जिस पर उच्च ब्याज दर और कर छूट मिलती है। इससे अभिभावकों में बालिका के भविष्य को लेकर सुरक्षा की भावना बढ़ी है।
8. **निर्भया योजना (2013)** : महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यौन हिंसा के मामलों में त्वरित सहायता व न्याय प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद इस योजना की घोषणा 2013 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, 24•7 हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला पुलिस स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है। यह योजना भयमुक्त वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक अहम प्रयास है।

इन सभी योजनाओं ने समय के साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया है। जहां एक ओर बेटी बचाओ और सुकन्या समृद्धि योजना ने लड़कियों की सामाजिक स्वीकार्यता और भविष्य को सुरक्षित किया, वहीं जननी सुरक्षा और मातृ वंदना योजना ने मातृत्व को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया। मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, और निर्भया योजना ने उन्हें सुरक्षा का विश्वास दिया। आज की महिला केवल लाभ प्राप्त करने वाली नहीं है, बल्कि एक निर्णायक, उत्पादक और प्रेरणादायक शक्ति बन चुकी है। इन योजनाओं के प्रभाव से न केवल महिलाएं सशक्त हुई हैं, बल्कि समाज की सोच, व्यवस्था और प्रगति की दिशा भी परिवर्तित हुई है।

ग्रामीण और शहरी महिलाओं की स्थिति में बदलाव– उक्त योजनाओ से निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलता है

- **स्व–सहायता समूहों का प्रभाव:** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व–सहायता समूहों (भ्ळ) ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं अब बकरी पालन, सिलाई–कढ़ाई, मसाला निर्माण, जैविक खेती जैसे कार्यों में संलग्न हैं। इससे न केवल उनका आर्थिक जीवन सुधरा है, बल्कि उनमें नेतृत्व, निर्णय क्षमता और सामाजिक आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
- **शहरी आजीविका मिशन का योगदान:** शहरी गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा और आजीविका के साधन प्रदान किए गए हैं। इससे महिलाएं अब केवल घरेलू कार्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे व्यवसाय, स्टार्टअप, और डिजिटल सेवाओं से भी जुड़ रही हैं।
- **शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण:** महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, उच्च शिक्षा में आरक्षण, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और महिला आईटी प्रशिक्षण केंद्रों ने उन्हें तकनीकी और अकादमिक रूप से सशक्त किया है। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रशासक के रूप में देश की सेवा कर रही हैं।
- **सामाजिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी:** पंचायती राज में 33: आरक्षण ने महिला नेतृत्व को समाज के सामने लाकर खड़ा किया है। महिला सरपंचों, वार्ड पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इससे उनकी राजनीतिक पहचान, सामाजिक भागीदारी और निर्णयात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ– योजनाओं की क्रियान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इस प्रकार है।

1. **ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी:** भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती। जानकारी के अभाव में वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पातीं। इसके पीछे शिक्षा का अभाव, सूचना तंत्र की सीमित पहुँच, और संचार माध्यमों की प्रभावहीनता प्रमुख कारण हैं। अक्सर योजनाओं की भाषा, प्रचार सामग्री और कार्यान्वयन प्रणाली इतनी जटिल होती है कि ग्रामीण महिलाएं स्वयं को इससे अलग पाती हैं। इसके परिणामस्वरूप योजनाएं केवल शहरी या अर्धशहरी वर्ग तक ही सीमित रह जाती हैं।

2. **भ्रष्टाचार और लेन–देन की समस्या:** कई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। लाभ प्राप्त करने के लिए कभी–कभी बिचौलियों, दलालों या अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे योजनाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। महिला लाभार्थियों को अक्सर योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित रहना पड़ता है। इससे न केवल योजना की विश्वसनीयता घटती है, बल्कि समाज में शासन के प्रति अविश्वास की भावना भी बढ़ती है।

3. **सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियाँ:** कई बार योजनाओं की पहुँच महिलाओं तक नहीं हो पाती क्योंकि समाज और परिवार उन्हें सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देता। परंपरागत मान्यताएँ जैसे कि "महिला का कार्य केवल घर तक सीमित है" दृ उन्हें शिक्षा, रोजगार या सामाजिक गतिविधियों से रोकती हैं। इन रूढ़ियों के कारण महिलाएं न तो योजना के बारे में जानकारी ले पाती हैं और न ही उनका लाभ उठा पाती हैं। यह सामाजिक मानसिकता महिला सशक्तिकरण की राह की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

4. **प्रशासनिक विलंब और जटिलताएँ:** सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक विलंब और अनावश्यक जटिलताएँ भी बड़ी बाधा हैं। दस्तावेजों की अधिकता, लंबी आवेदन प्रक्रिया, लाभान्वयन की धीमी गति, तथा विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने जैसी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

समस्याओं से महिलाएं हतोत्साहित हो जाती हैं। ग्रामीण व अशिक्षित महिलाएं तो इस प्रक्रिया को समझ ही नहीं पातीं। इससे वास्तविक लाभार्थी योजना तक नहीं पहुँच पाती और योजना केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाती है।

5. **तकनीकी ज्ञान का अभावः** आजकल अधिकतर योजनाएं डिजिटल माध्यमों से संचालित की जा रही हैं। जैसे ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन आवेदन, मोबाइल ऐप आदि। लेकिन अधिकांश महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण या अशिक्षित वर्ग की महिलाओं में तकनीकी ज्ञान की भारी कमी है। डिजिटल डिवाइड के चलते वे पोर्टल, एप या डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहती हैं। इसके कारण योजनाएं उनके लिए जटिल और दूर की चीज बन जाती हैं, भले ही वे पात्र हों।

6. **महिलाओं की भागीदारी सीमित होनाः** कई योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी केवल कागजी होती है। निर्णय प्रक्रिया, निगरानी तंत्र, और योजना निर्माण में उनकी उपस्थिति न्यूनतम रहती है। नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में यदि महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व न दिया जाए तो योजनाएं उनकी वास्तविक जरूरतों को नहीं समझ पातीं। इससे योजनाएं एकपक्षीय या पुरुष प्रधान दृष्टिकोण से बनती हैं और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

इन चुनौतियों का समाधान केवल प्रशासनिक सुधारों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, शैक्षिक सुधार और महिला नेतृत्व के सुदृढ़ीकरण से संभव है।

संभावनाएँ और सुधार के सुझाव – महिला सशक्तिकरण में लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु संभावनाएँ और सुधार के प्रमुख मौलिक बिंदु इस प्रकार है

- स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिनमें नुक्कड़ नाटक, चित्र प्रदर्शनी, और जन संवाद के माध्यम से महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी जाए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सूचना केंद्र स्थापित किया जाए, जहाँ से महिलाएं योजनाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- महिला सलाहकार समिति को ग्राम विकास योजनाओं में परामर्शदाता के रूप में जोड़ा जाए, ताकि नीतियों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो।
- योजनाओं की सफलता को मापने के लिए स्थानीय स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा (वबपंस ।नकपज) की व्यवस्था की जाए, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका हो।
- डिजिटल शिक्षा शिविर आयोजित किए जाएं, जहाँ महिलाओं को मोबाइल, ऑनलाइन फॉर्म, बैंकिंग और पोर्टल उपयोग का प्रशिक्षण मिले।
- महिला स्वयंसेवी समूहों को सरकारी योजनाओं के प्रचार और निगरानी का भागीदार बनाया जाए, जिससे सामुदायिक सहभागिता बढ़े।
- स्कूल और कॉलेजों में लिंग–संवेदनशील पाठ्यक्रम अनिवार्य किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों में लैंगिक समानता की सोच विकसित हो।
- स्थानीय पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क को सशक्त किया जाए, जहाँ महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए।
- महिलाओं के लिए मोबाइल हेल्पलाइन और ऐप को क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाया जाए, ताकि तकनीकी बाधाएँ दूर हो सकें।
- प्रशासनिक स्तर पर महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि योजनाओं में संवेदनशीलता और निष्पक्षता बनी रहे।
- सफल महिला उद्यमियों, सरपंचों और शिक्षिकाओं की प्रेरणादायक कहानियों को मीडिया और पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाए, जिससे अन्य महिलाएं प्रेरित हों।
- ग्रामीण स्तर पर महिला बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाए, जैसे कि महिला मित्र बैंकिंग प्रतिनिधि जो घर–घर जाकर सेवाएं दें।

लोक कल्याणकारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम रही हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को समाज की परिधि से हटाकर केंद्र में स्थापित किया है। आज महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक बन रही हैं। फिर भी यह यात्रा अभी अधूरी है। समाज को मानसिक रूप से और अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और लिंग–संवेदनशील बनाना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं को केवल सरकारी दस्तावेज न समझा जाए, बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाए। जब प्रत्येक महिला आत्मसम्मान, सुरक्षा और अधिकार के साथ जीवन जीने लगेगी, तभी सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना साकार होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार, सतीश (2014) भारत में सामाजिक कल्याण योजनाएं और उनका प्रभाव। जयपुरः यूनिटी पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठः 118
2. त्रिपाठी, मीना (2017) स्त्री अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन। वाराणसीः जनशक्ति प्रकाशन। पृष्ठः 92
3. भारतीय योजना आयोग (2020) महिला एवं बाल विकास पर पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट। नई दिल्लीः भारत सरकार प्रकाशन विभाग। पृष्ठः 17–18
4. यूनिसेफ इंडिया (2019) ग्राम्य भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ। नई दिल्लीः यूनिसेफ प्रकाशन। पृष्ठः 45
5. मिश्र, अनुपमा (2021) महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की सामाजिक समीक्षा। भोपालः सहारा बुक्स। पृष्ठः 70–73

*****